किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में बैलेट पेपर देखकर ही पता लगाया जा सकता है, जिससे उसका वोट अमान्य हो जाता है और उसका वोट खारिज हो जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि 2 जनवरी, 1962 के विवादित आदेश को रद्द करने और 2 की उप-धारा को धारा 121 घोषित करने के लिए परमादेश, उत्प्रेषण, या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए। अधिनियम शून्य एवं असंवैधानिक है।

एच.एल. सरीन और के.के. कुकरिया, याचिकाकर्ताओं के वकील।

एच.एल. सिब्बल एडवोकेट और एम. आर. शर्मा एडवोकेट

उत्तरदाताओं के लिए महाधिवक्ता।

आदेश

माननीय न्यायाधीश श्री मेहर सिंह जी -गुड़गांव जिले में पंचायत समिति ब्लॉक, पलवल के प्राथमिक सदस्यों के लिए चुनाव। ऐसा प्रतीत होता है कि 16 सदस्यों का चुनाव होना था। चुनाव 20 अगस्त 1961 को हुआ था। याचिकाकर्ता पाला सिंह उन लोगों में से एक थे जो निर्वाचित हुए थे और नाथी सिंह, प्रतिवादी 1, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए। उनके मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने चार मतपत्रों को अवैध पाया

उनके लिए 9 वैध वोट बचे। इसके बाद उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता सहित कई अन्य उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिले, यानी 10, और परिणामस्वरूप पंजाब पंचायत समितियों (प्राथमिक) के नियम 16(9)(बी) के अनुसार

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

सदस्य) चुनाव नियम, 1961, पांच उम्मीदवारों के लिए लॉटरी निकाली गई और याचिकाकर्ता इस तरह से चुने जाने वाले पांचवें थे, चार अन्य थे

उनके लिए पहले चुना गया। यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी I के चार मतपत्रों को अवैध मानकर खारिज नहीं किया गया होता, तो उसके पास तेरह वोट होते, ऐसी स्थिति में शेष चार सदस्यों के लिए ही लॉटरी आवश्यक होती, पाँच के लिए नहीं। ताकि

उस स्थिति में याचिकाकर्ता के पास पंचायत समिति के लिए चुने जाने का कोई मौका नहीं होता। इसके बाद जब पंचायत समिति बनी

गठित कर याचिकाकर्ता को इसका अध्यक्ष चुना गया

पंचायत समिति के गठन के लिए कुछ सदस्यों को सहयोजित किया गया। वार्डों के बाद जिला परिषद के लिए समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ।

प्रतिवादी 1 द्वारा पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब नंबर 3) की धारा 121 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की गई थी। इसे उस प्रावधान के तहत निर्धारित प्राधिकारी के रूप में प्रतिवादी 2 द्वारा सुना गया था, प्रतिवादी 2 ने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रतिवादी 1 के मामले में अमान्य घोषित किए गए चार मतपत्रों में कॉलम 4 में चिह्न (x) नहीं था, जिसमें ऐसा मतदाता को निशान लगाना होता था, लेकिन कॉलम 3 में प्रत्याशी का निशान छपा हुआ था। प्रतिवादी 1 के मामले में प्रतीक 'हाथ' था और इसे नियमों के अनुसार आवश्यक लाल या नीली पेंसिल से काटा हुआ पाया गया, जबकि उस उद्देश्य के लिए कॉलम 4 में निशान (X) बनाया गया था, रिटर्निंग ऑफिसर ने इन मतपत्रों को खारिज कर दिया। यह मानते हुए कि इनका अनुपालन नहीं हुआ

नियम। पंजाब पंचायत समितियाँ (प्राथमिक सदस्य) चुनाव नियम, 1961, नियम 17, प्रदान करते हैं: -

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

“कोई भी मतपत्र जिस पर कोई निशान हो

या हस्ताक्षर जिसके द्वारा मतदाता हो सकता है

पहचाना गया या जिसमें निशान (X)

अस्पष्ट ढंग से रखा गया है

एक से अधिक नामों के विरुद्ध

उम्मीदवार या जो सहन नहीं करता

में निर्धारित आधिकारिक मुहर या हस्ताक्षर

नियम 16 का उपनियम (3) अमान्य होगा।“

इस न्यायालय के समक्ष कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन प्रतिवादी 2 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि “रिटर्निंग ऑफिसर ने इन मतपत्रों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया कि कॉलम 4 (इस उद्देश्य के लिए) में कोई अंकन नहीं है। चुनाव में आधार लिया गया

प्रतिवादी 1 द्वारा याचिका, लेकिन प्रतिवादी 2 के समक्ष केवल एक ही बची थी और वह आपत्ति है, जैसा कि प्रतिवादी 2 ने ऊपर बताया है, उसके सामने उद्धृत कुछ मामलों पर विचार करने के बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो देखा जाना है वह उसका इरादा है।

मतदाता और यदि यह स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है, तो एक मतपत्र को केवल इस विचार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उस पर जो निशान बनाया जाना चाहिए वह ठीक उसी स्थान पर नहीं बनाया गया है जहां इसे बनाया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद विद्वान प्राधिकारी ने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रतिवादी के चार मतपत्रों को खारिज कर दिया था।

यह पाए जाने पर वह न केवल यह घोषित करने के लिए आगे बढ़े कि याचिकाकर्ता निर्वाचित नहीं हुआ था, बल्कि प्रतिवादी 1 को भी निर्वाचित घोषित करने के लिए आगे बढ़े और पंचायत समिति के चुनाव के बाद होने वाले सभी चुनावों को रद्द करने का आदेश दिया और उसी के फिर से चुनाव का निर्देश दिया।'

विद्वान प्राधिकारी का आदेश 2 जनवरी 1962 का है। याचिकाकर्ता ने इसी आदेश पर आपत्ति जताई है।

दो मुख्य आधार हैं, (ए) कि 1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 की धारा 121 अस्पष्ट और अनिश्चित होने और अनियंत्रित होने के कारण संवैधानिक रूप से अमान्य है

और चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले प्राधिकरण पर अनियंत्रित शक्ति, और (बी) कि प्रतिवादी 2 का दृष्टिकोण कानून में गलत है और रिकॉर्ड के चेहरे पर एक पेटेंट त्रुटि है क्योंकि प्रतिवादी 2 ने पंजाब पंचायत के नियम 17 की अनदेखी की है समितियां (प्राथमिक सदस्य) चुनाव नियम, 1961, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि प्रतिवादी एल के प्रतीक पर निशान (एक्स) लगाया गया है, मतपत्रों से मतदाताओं को तुरंत इस तरह से पहचाना जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक जाओ और प्रतिवादी 1 को सूचित करो कि वह उसे दिए गए समर्थन के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहता है अन्यथा, वह मतपेटी को देख सकता है जिसमें प्रतीक पर निशान (एक्स) के साथ मतपत्र हैं।

पंजाब के प्रतिवादी 3 राज्यों की ओर से रिटर्न में, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी 2 ने (ए) प्रतिवादी 1 को आदेश देते हुए कानून के अनुसार कार्य नहीं किया

निर्वाचित होने के रूप में और (बी) पंचायत समिति के चुनाव के बाद चुनावों को रद्द करना अन्यथा प्रतिवादी 2 की स्थिति का समर्थन किया जाता है कि उसका आदेश अब तक सही है या अन्यथा चारों की वैधता का सवाल है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

मतपत्रों का संबंध उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के उद्देश्य से है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य उत्तरदाताओं में से किसी की ओर से कोई रिटर्न नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हरके बनाम ज्ञानी राम (1) का हवाला दिया और तर्क दिया कि उस मामले में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (पंजाब अधिनियम संख्या 4, 1953) की धारा 8(2) (ए) को ठहराया गया है। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा शून्य होना

और इस आधार पर असंवैधानिक है कि धारा में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसके द्वारा यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि विधायिका ने चुनाव को रद्द करने के लिए मार्गदर्शन के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जो विधायिका ने इस धारा में या अधिनियम में नहीं किया है, अपनी नीति और उद्देश्य की घोषणा की ताकि अधिनियम के तहत गठित निर्धारित प्राधिकारी को उन आधारों के संबंध में मार्गदर्शन किया जा सके जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या न्याय में विफलता हुई है, और नहीं

निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील प्रदान की गई है और इन विचारों पर विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि निर्धारित प्राधिकारी में विवेकाधिकार छोड़े जाने वाले अनुभाग ने उसे बिना निर्देशित शक्ति के साथ भेदभाव करने में सक्षम बनाया है। 1953 के पंजाब अधिनियम संख्या 4 की धारा 8(1) और (2)(ए) कहती है:"

"9. (आई) सभा का कोई भी सदस्य निर्धारित सुरक्षा जमा कर सकता है

ऐसी अन्य शर्तों पर, जो निर्धारित की जा सकती हैं, बीस दिनों के भीतर

किसी चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि निर्धारित की गई है

प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति के चुनाव के खिलाफ लिखित रूप में एक चुनाव याचिका

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

सरपंच या पंच के रूप में

(2) विहित प्राधिकारी कर सकता है

(ए) यदि वह पाता है, तो ऐसी जांच के बाद

आवश्यक समझें, कि विफलता

न्याय हुआ है, अलग करो

कहा गया चुनाव, और एक नया चुनाव

उसके बाद आयोजित किया जाएगा* * *

विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि अभिव्यक्ति 'न्याय की विफलता' अपने अर्थ और दायरे में बहुत अस्पष्ट थी और विधायिका ने निर्धारित प्राधिकारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत या नीति निर्धारित नहीं की थी, इसलिए, इसे छोड़ दिया गया था। यह अस्पष्ट शक्ति अपनी मधुर इच्छा से आगे बढ़ने और यदि वह ऐसा करना चाहे तो भेदभाव करने में सक्षम है। इसी अधिनियम की धारा 101 में नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी गई है और इस धारा की उपधारा (2)(सी) कहती है कि "विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार नियम बना सकती है * * * (सी) ग्राम पंचायत और अदालत के पदाधिकारियों के चुनाव, निलंबन या हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करना

पंचायत *और चुनाव विवादों का निपटारा", और यहां तक कि इस नियम-निर्माण शक्ति में भी निर्धारित प्राधिकारी के मार्गदर्शक के रूप में चुनाव को अमान्य करने के लिए आधार निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित, विस्तृत और विशिष्ट शक्ति नहीं ली गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

इस अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्य करना। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में इस संबंध में विहित प्राधिकारी के लिए कोई दिशानिर्देश के रूप में कोई नियम नहीं बनाए गए थे। इन्हीं परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधीशों का आगमन हुआ

उक्त अधिनियम की धारा 8(2)(ए) के तहत निर्धारित प्राधिकारी में शक्ति के संबंध में उपरोक्त निष्कर्ष।

1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 में, धारा 121 इस प्रकार पढ़ी गई: -

121(1) कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है

किसी सदस्य का चुनाव निर्धारित सुरक्षा जमा करने और ऐसे आधार पर हो सकता है

अन्य शर्तें, जो चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से बीस दिनों के भीतर निर्धारित की जा सकती हैं, निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी

सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव के विरुद्ध लिखित चुनाव याचिका

संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष

(2) विहित प्राधिकारी कर सकता है

(ए) यदि आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद उसे पता चलता है कि विफलता हुई है

न्याय हो गया है, उक्त चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए

उसके बाद आयोजित किया जाएगा;

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(बी) यह पाता है कि याचिका झूठी, तुच्छ या कष्टप्रद है, खारिज करें

याचिका में पंचायत को सुरक्षा जब्त करने का आदेश दिया गया

जैसा भी मामला हो, संबंधित समिति या जिला परिषद।

(3) इस अनुभाग में दिए गए को छोड़कर। किसी सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव पर किसी प्राधिकारी या किसी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

यह तुरंत स्पष्ट है कि सभी व्यावहारिक और प्रभावी उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम की धारा 121 (2) (ए) है

सादृश्य के लिए 1953 के पंजाब अधिनियम संख्या 4 की धारा 8(2)(ए) के समान पूर्ण है और यदि मामले को वहीं छोड़ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि हरके बनाम ज्ञानी राम (1) के अनुपात पर केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा संभव है और वह है 1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 की धारा 121(2)(ए) को शून्य और असंवैधानिक घोषित करना। लेकिन इस कानून और इसके तहत बने नियमों में कुछ और भी है जिस पर विचार करना जरूरी है. धारा 115 में नियम बनाने की शक्ति सरकार द्वारा 1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 के तहत ली गई है और उस धारा की उपधारा में है

ये शर्तें----

•धारा 115 (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं-

- * * * * * * * * * * * *

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(बी) पंचायत समितियों और जिला के चुनाव का तरीका निर्धारित करने के लिए

परिषदें, भत्ते, यदि कोई हों, सदस्यों को देय और आम तौर पर

इस अधिनियम के तहत चुनावों को विनियमित करना जिसमें निम्नलिखित के लिए नियम शामिल हैं

मायने रखता है, अर्थात्: -

(i) प्रावधानों के तहत होने वाले चुनावों में प्रथाओं की परिभाषा के लिए

इस अधिनियम के जो भ्रष्ट माने जाएंगे:

(ii) भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जांच के लिए;

(iii) संतोषप्रद साबित हुए किसी भी व्यक्ति के चुनाव को शून्य बनाने के लिए

सरकार का भ्रष्ट आचरण का दोषी होना या होना

किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल हुए हैं या उसे बढ़ावा दिया है

या जिसका एजेंट इस प्रकार दोषी साबित हुआ हो या जिसके चुनाव का परिणाम उस समय लागू किसी कानून या नियम के उल्लंघन से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ हो;

(iv) पंचायत समिति का सदस्य बनने में असमर्थ होने के लिए

या जिला परिषद या तो स्थायी रूप से या वर्षों की अवधि के लिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भ्रष्ट आचरण या मिलीभगत के लिए पूर्वोक्त दोषी साबित हुआ हो।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

उसी को बढ़ावा देना;

(v) उस प्राधिकारी को निर्धारित करने के लिए जिसके द्वारा इस खंड में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण किया जाएगा; और

(vi) ऐसे किसी भी नियम के उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए अदालतों को अधिकृत करना

उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत पर;

इसलिए, सरकार ने चुनावों को विनियमित करने और इस विशेष संबंध में भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण के आरोपों की जांच, चुनाव की शून्यता के संबंध में निश्चित नियम बनाने के लिए स्पष्ट, निश्चित और विशिष्ट शक्ति ले ली है।

भ्रष्ट आचरण, ऐसे आचरण में लिप्त व्यक्ति की अयोग्यता, और चुनाव याचिका और ऊपर उल्लिखित प्रश्नों की सुनवाई के लिए निर्धारित प्राधिकारी के लिए प्रावधान करना। इस शक्ति के अनुसरण में प्रतिवादी-3 ने पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों को बनाया है (चुनाव याचिका नियम, 1961, और नियम 3 कहता है -

"पंचायत समिति के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव

किसी मामले में, किसी निर्वाचक द्वारा चुनाव याचिका के माध्यम से इस आधार पर पूछताछ की जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूची में निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण का दोषी है या उसने ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण को अंजाम देने में सहयोग किया है या उसे बढ़ावा दिया है या इसके परिणामस्वरुप जिसका

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

चुनाव उस समय लागू किसी कानून या नियम के उल्लंघन से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ हो या हुआ हो

न्याय की विफलता।"

इस नियम के आलोक में अनुसूची में भ्रष्ट आचरणों को सूचीबद्ध किया गया है। इस नियम के तहत किसी चुनाव को (ए) भ्रष्ट आचरण के आधार पर, या (बी) उस समय लागू किसी कानून या नियम के उल्लंघन से भौतिक रूप से प्रभावित होने वाले चुनाव के परिणाम पर, या (सी) पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है।) कि न्याय की विफलता हुई है। भ्रष्ट आचरण की सूची देने वाली अनुसूची के साथ पढ़ने पर यह नियम पंजाब अधिनियम संख्या 3, 1961 की धारा 121 के तहत निर्धारित प्राधिकारी को किसी भी चुनाव की वैधता या अन्यथा के प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के तरीके में पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। के अनुसरण में किया गया है

वैधानिक नियम बनाने की शक्ति और धारा 121 के तहत निर्धारित प्राधिकारी उस धारा के तहत चुनाव याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने में नियमों के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील बताते हैं कि अधिनियम की धारा 115 में विस्तृत, निश्चित और स्पष्ट प्रावधान के बावजूद चुनाव पर सवाल उठाने के आधार पर विस्तृत नियम बनाने की शक्ति है और नियम में विस्तृत आधार प्रदान किए जाने के बावजूद, तथ्य अभी भी वही है

धारा 121(2)(ए) किसी चुनाव याचिका की सुनवाई में निर्धारित प्राधिकारी के विचार के लिए केवल एक ही आधार है और वह यह है कि चुनाव में न्याय की विफलता हुई है या नहीं। लेकिन न्याय की अभिव्यक्ति विफलता

हालाँकि, यदि इसे छोड़ दिया जाए तो यह धारा अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्ति है, फिर भी पंजाब पंचायत समितियों और जिला की धारा 115 (2) (बी) और नियम 3 को ध्यान में रखते हुए

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

परिषद (चुनाव याचिका) नियम, 1961 नियमों की अनुसूची के साथ, इसका निश्चित अर्थ यह है कि इस खंड में न्याय की विफलता का मतलब नियम 3 के प्रावधानों और किसी भी भ्रष्ट के कमीशन के मद्देनजर न्याय की विफलता है उक्त नियमों की अनुसूची में दी गई प्रथाएँ। यह अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए

अब इसे निश्चित आधारों तक ही सीमित पढ़ा जाएगा और वे आधार पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों (चुनाव याचिका) नियम, 1961 के नियम 3 में दिए गए हैं। यह इन परिस्थितियों में है कि यह अभिव्यक्ति, अन्यथा अस्पष्ट अनिश्चित, निश्चित और स्पष्ट हो जाती है 1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 की धारा 121 के तहत चुनाव याचिकाओं के निर्णय में विहित प्राधिकारी को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यहां तक कि

नियम 3 में अंतिम आधार न्याय की विफलता का है जो सही है, लेकिन इस आधार को अलग से और अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और यह उक्त अधिनियम की धारा 121(2)(ए) में कही गई बातों की पुनरावृत्ति मात्र है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

नियम 3 में दिए गए अन्य दो निश्चित और स्पष्ट आधार। इसलिए धारा 121(2)(ए) और नियम 3 के अंत में प्रयुक्त न्याय की विफलता की अभिव्यक्ति का अर्थ और दायरा अन्य विशिष्ट और में स्पष्ट और प्रवर्धित किया गया है। नियम 3 में दिए गए चुनाव पर सवाल उठाने के लिए स्पष्ट आधार और उस धारा के तहत चुनाव याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने में निर्धारित प्राधिकारी केवल उन आधारों तक ही सीमित है। इसलिए इस मामले में विधायिका ने चुनाव याचिकाओं के निर्णय में निर्धारित प्राधिकारी को मार्गदर्शन के बिना या अनियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति के साथ नहीं छोड़ा है जैसा कि धारा 8 (2) (ए) के मामले में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पाया गया था।

1953 का पंजाब अधिनियम संख्या 4। हरके बनाम ज्ञानी राम (1) परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करने में सहायक नहीं है और जहां तक पंजाब अधिनियम की धारा 121 (2) (ए) है 1961 की संख्या 3 का संबंध है कि यह अनिश्चितता, अस्पष्टता, या अनिर्देशित या

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अव्यवस्थित शक्ति प्रदान करने के लिए शून्य और असंवैधानिक नहीं है। पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषदों (चुनाव याचिका) नियम, 1961 की धारा 115 (2) (बी) और नियम 3 के साथ पढ़ने पर, यह एक वैध और संवैधानिक कानून है जिसे निर्धारित तरीके से प्रभावी और उचित तरीके से लागू किया जा सकता है। अधिकार। इस प्रकार याचिकाकर्ता की ओर से पहला आधार विफल हो जाता है।

तथ्य पेटेंट हैं और विवादित नहीं हैं। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य किए गए चार मतपत्रों पर उस उद्देश्य के लिए बने कॉलम 4 में नहीं बल्कि कॉलम 3 में प्रतिवादी नंबर 1 के प्रतीक पर (X) का निशान था।

क्या विहित प्राधिकारी की यह राय सही है या नहीं कि कॉलम 4 के बजाय कॉलम 3 में चिह्न (X) लगाना मतदान करने और निर्वाचक के इरादे को दर्शाने का एक अस्पष्ट तरीका नहीं है, लेकिन उसने जो किया है वह यह है कि

पंजाब पंचायत समिति (प्राथमिक सदस्य) चुनाव नियम, 1961 के नियम 17 के एक और भाग को पेटेंट या स्वीकृत तथ्यों पर पूरी तरह से नजरअंदाज करें, और वह यह है कि कोई भी मतपत्र जिस पर कोई निशान या हस्ताक्षर हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके। अमान्य घोषित किया जाना है. यह स्पष्ट है कि मतदाता कह सकता है कि उसके मतपत्र की पहचान की जा सकती है और इस प्रकार किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदाता के रूप में उसकी पहचान केवल मतपत्र को देखकर और उसके द्वारा पार किए जाने के तथ्य के आधार पर की जा सकती है। विशेष उम्मीदवार का प्रतीक. यह पेटेंट है और विद्वान विहित प्राधिकारी ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। तथ्य

स्वीकृत तथ्यों पर नियम 17 के लागू न होने के संबंध में उठाया गया प्रश्न कानून में से एक है। विद्वान विहित प्राधिकारी अपने आदेश में इस नियम का उल्लेख करता है और जबकि यह मतपत्र को मान्य करने की अन्य दो शर्तों को इंगित करता है, यह इसका उल्लेख नहीं करता है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

मतपत्र पर किसी भी निशान से मतदाता की पहचान के संबंध में शर्त। मतपत्र के इस अजीबोगरीब अंकन ने जैसे ही मतदाता को अपने मतदान के तरीके का खुलासा किया, उसकी पहचान उजागर हो गई। यह आग्रह किया गया है कि यह तर्क विहित प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया था और न ही इसे याचिका में इतने शब्दों में कहा गया है लेकिन तथ्य निर्विवाद हैं और प्रावधान

नियमों के स्पष्ट होने के कारण निर्धारित प्राधिकारी को केवल दोनों पर अपना दिमाग लगाना था और निष्कर्ष स्पष्ट है। यह नियम के उस हिस्से की अनदेखी है जिसे स्वीकृत तथ्यों पर लागू करने पर अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह इस नियम के अनुसार सही था। इसलिए, विद्वान निर्धारित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के चुनाव में हस्तक्षेप करके कानूनी गलती की है और त्रुटि रिकॉर्ड पर पेटेंट है। इस दृष्टिकोण में विद्वान निर्धारित प्राधिकारी के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसे रद्द करना होगा।

विद्वान विहित प्राधिकारी ने इस मामले में प्रतिवादी 1 को निर्वाचित घोषित किया है। 1961 के पंजाब अधिनियम संख्या 3 की धारा 121 (2) (ए) में कहा गया है कि निर्धारित प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे जाने वाली जांच के बाद पाता है कि न्याय की विफलता हुई है, तो चुनाव को रद्द कर सकता है और इसके बाद नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा, यह स्पष्ट है कि इस प्रावधान के तहत यदि निर्धारित प्राधिकारी का आदेश कायम रहता है तो नया चुनाव ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन प्रतिवादी 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि खंड में 'करेगा' शब्द 121(2)(ए) को ''हो सकता है'' और निर्देशिका और इसी प्रकार पढ़ा जाए

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

विद्वान विहित प्राधिकारी को कायम रखा जाए। उनका तर्क यह है कि यदि विद्वान विहित प्राधिकारी का दृष्टिकोण सही है, तो नतीजा यह निकलता है कि यदि रिटर्निंग ऑफिसर ने चार मतपत्रों को अमान्य करने में गलती नहीं की होती।

प्रतिवादी 1 के पक्ष में यह प्रतिवादी निर्वाचित होना चाहिए, और विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा गलती का पता चलने पर, वही परिणाम आना चाहिए। यह तर्क उस क़ानून के व्यक्त शब्दों के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकता जिसके अंतर्गत

चुनाव को रद्द करने का एकमात्र रास्ता नए सिरे से चुनाव कराना है, न कि किसी हारे हुए उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा करना। मैं इसे स्पष्ट वैधानिक अधिनियम के बिना नहीं मानता कि कुछ परिस्थितियों में कोई पराजित उम्मीदवार हो

निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी के पास विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए तर्कों के प्रकार पर विचार करने की ऐसी कोई शक्ति है। किसी भी मामले में, उपरोक्त मामले के दृष्टिकोण के कारण वर्तमान मामले में प्रश्न नहीं उठता है।

परिणामस्वरूप यह याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने वाले निर्धारित प्राधिकारी, प्रतिवादी 2 दिनांक 2 जनवरी 1962 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। इस याचिका में पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

माननीय न्यायाधीश श्री शमशेर बहादुर जी से .-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

बी.आर.टी.

अपीलीय अपराधी

माननीय न्यायाधीश श्री एस.बी. कपूर और आर.पी. खोसला जी के समक्ष

राज्य - अपीलकर्ता

बनाम

मोती राम और प्रतिवादी

1961 की आपराधिक अपील संख्या 750।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (XXVII 1954 s-20-खाद्य

राज्य एयू द्वारा विधिवत प्राधिकृत खाद्य निरीक्षक

सरकार क्या राज्य सरकार की सहमति के बिना मुकदमा चला सकती है? खाद्य निरीक्षक स्वयं शिकायत दर्ज कर रहा है क्या मुकदमा चलाने के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दर्ज करनी चाहिए?

यह माना गया कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के तहत वैध होने के लिए अभियोजन या तो निम्नलिखित की लिखित सहमति से शुरू किया जाना चाहिए:

(i) राज्य सरकार; या

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

(2) एक स्थानीय प्राधिकारी; या

(3) सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति; या

(4) किसी प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति।

यदि उपरोक्त में से कोई भी स्वयं अभियोजन स्थापित करता है तो स्पष्ट रूप से किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की अतिरिक्त लिखित सहमति होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक विपरीत व्याख्या "द्वारा" और "की लिखित सहमति से" शब्दों के बीच के बजाय "और" शब्द को पढ़ना होगा।

यह माना गया कि जब खाद्य निरीक्षक ने स्वयं अभियोजन स्थापित किया है (जैसा कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था), तो यह न केवल अनावश्यक होगा बल्कि उसके लिए बेतुका भी होगा।

यह जोड़ने के लिए कि उन्होंने उस विशेष अभियोजन की स्थापना को मंजूरी दे दी।

माना गया कि खाद्य निरीक्षक, जिसे राज्य सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था, ने स्वयं अभियोजन की तर्कसंगतता और औचित्य पर विचार किया था, और जब उसने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया तो यह आवश्यकता पूरी हो गई मानी जानी चाहिए।

श्री ए.एस. गिलानी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी शिमला के दिनांक दिनांकित आदेश के विरुद्ध अपील

27 अप्रैल, 1961, उत्तरदाताओं को बरी कर दिया गया

केएल जग्गा सहायक महाधिवक्ता के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

माननीय न्यायाधीश श्री कपूर जी - ये खाद्य अपमिश्रण निवारण की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) के तहत अपराधों के संबंध में बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा निर्देशित 55 अपीलें हैं। अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 37), इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा। उनमें अधिनियम की धारा 20 की व्याख्या के बारे में एक सामान्य बिंदु शामिल है और इसलिए, यह सुविधाजनक होगा

इस निर्णय के दौरान उन सभी का निपटान करना।

1961 की आपराधिक अपील संख्या 754 से 763, 767, 769 से 793 तक श्री ए.एस. द्वारा बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। गिलानी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिमला, दिनांक 27 अप्रैल, 1961; 1961 की संख्या 829 से 834 उसी मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देती है

4 मई, 1961 को उनके द्वारा तय किए गए मामलों की संख्या, जो उनके द्वारा तय किए गए मामलों के पहले सेट के समान थी। आरोपी व्यक्तियों की ओर से इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति की गई थी कि अभियोजन कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण था क्योंकि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (I) की शर्तों का आपराधिक अपील संख्या 1081 और 1082 के साथ अनुपालन नहीं किया गया था। 1961 राज्य बनाम बाबू

राम और राज्य बनाम प्रताप सिंह क्रमशः दो निर्णयों बाबू राम बनाम राज्य और प्रताप सिंह बनाम राज्य से उत्पन्न होते हैं, जिसका निर्णय श्री ई.एफ. बार्लो, सत्र न्यायाधीश, भटिंडा ने 18 जुलाई, 1961 को दिया था, जिसके तहत उन्होंने अपील स्वीकार कर ली थी। दोषियों का. उन्होंने इसी तरह की प्रारंभिक आपत्ति ली थी कि अभियोजन अधिनियम की धारा की उप-धारा (1) की शर्तों के अनुपालन में नहीं है और

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सिटी कॉरपोरेशन ऑफ त्रिवेन्द्रम बनाम वी.पी.एन. अरुणाचलम रेडियार और अन्य (1) के आधार पर इस प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा और आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। आपराधिक अपील संख्या

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

1187, 1199, 1201 से 1209 ऑफ 1961 श्री ए.पी. चौधरी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भटिंडा के 15 जुलाई, 1961 के आदेश से उत्पन्न हुए हैं।

आपराधिक मामले जिनमें उन्होंने उसी प्राधिकार के आधार पर आरोपी व्यक्तियों की ओर से दी गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार कर लिया और शिकायतों को खारिज कर दिया।

इनमें से प्रत्येक मामले में, अधिनियम की उप-धारा (1) और धारा 16 के खंड (ए) के उप-खंड (i) और संबंधित स्थानीय क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक द्वारा शिकायतें दर्ज की गई थीं। यह विवादित नहीं है कि इनमें से प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा की उप-धारा (1) के तहत संस्थान बनाने के लिए अधिकृत किया गया था।

इनमें से प्रत्येक शिकायत पर अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के बाद

पंजाब सरकार की अधिसूचना, जिसके तहत खाद्य निरीक्षक को संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया था, ने अपराध के तथ्यों, मिलावट की प्रकृति और पदार्थ का संक्षिप्त विवरण दिया और

इस प्रार्थना के साथ समाप्त हुआ कि अभियुक्तों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए।

अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (I), चूँकि यह वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

“अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति की लिखित सहमति

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

चूँकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खाद्य निरीक्षक प्रत्येक मामले में विधिवत प्राधिकृत था।

सरकार ने अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए क़ानून की शर्तों को पूरा किया होगा। जो तर्क

आक्षेपित निर्णयों में निम्न न्यायालयों का पक्ष यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की लिखित सहमति या राज्य सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षक को प्रतिनिधिमंडल प्रत्येक विशेष मामले से संबंधित होना चाहिए। हालाँकि, यह तर्क क़ानून को ग़लत तरीके से पढ़ने और सिटी कॉरपोरेशन ऑफ़ त्रिवेन्द्रम वी.पी. में निर्णय के सटीक दायरे के बारे में ग़लतफ़हमी पर आधारित है। एन. अरुणाचलम रेडियार और अन्य (1), अधिनियम के तहत वैध होने के लिए अभियोजन या तो लिखित सहमति से या उसके द्वारा शुरू किया जाना चाहिए

अगले: -

(1) राज्य सरकार, या

(2) एक स्थानीय प्राधिकारी, या

(3) इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति

राज्य सरकार, या

(4) इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति

स्थानीय प्राधिकारी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

यदि उपरोक्त में से कोई भी स्वयं अभियोजन स्थापित करता है, तो जाहिर तौर पर किसी अन्य प्राधिकारी व्यक्ति की अतिरिक्त लिखित सहमति होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक विपरीत व्याख्या "के अलावा" और "की लिखित सहमति से" शब्दों के बीच "या" के बजाय "और" शब्द पढ़ना चाहिए।

सिटी कॉरपोरेशन ऑफ त्रिवेन्द्रम बनाम वी.पी.एन. अरुणाचलम रेडियार और अन्य के रूप में उद्धृत मामले में अधिनियम के तहत अभियोजन त्रिवेन्द्रम निगम के खाद्य निरीक्षक द्वारा स्थापित किया गया था। जिस मंजूरी पर अभियोजन ने भरोसा किया वह निगम के आयुक्त द्वारा खाद्य निरीक्षक को सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रदत्त एक सामान्य अधिकार था।

के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था, इसका कोई सबूत नहीं था कि निगम के आयुक्त को राज्य द्वारा अधिकृत किया गया था

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसी कोई मंजूरी जारी कर सकते हैं, और जाहिर है, इसलिए, उपधारा की आवश्यकताओं का कोई अनुपालन नहीं हुआ

(1) अधिनियम की धारा 20 का। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि अन्यथा भी जिस मंजूरी पर भरोसा किया गया था, वह प्राधिकार अस्पष्ट और सामान्य शब्दों में छिपा हुआ था, और उन्होंने कहा कि धारा 20 के लिए आवश्यक मंजूरी एक खाली औपचारिकता नहीं थी और इसे दिखाया जाना चाहिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने आरोपी व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध पर अपना दिमाग लगाया था और संतुष्ट था कि आरोपी पर उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना था, और यह कि मंजूरी देना

प्राधिकरण या ऐसे अस्पष्ट और सामान्य शब्दों में मंजूरी देना अधिनियम की धारा 20 का पर्याप्त अनुपालन नहीं था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

उपरोक्त मामले पर नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक कोझीकोड बनाम अर्थला टी एस्टेट कंपनी (2) में उसी न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा चर्चा और व्याख्या की गई थी। इस मामले की शिकायत एक फूड इंस्पेक्टर ने की थी.

सभी खाद्य निरीक्षकों को आम तौर पर अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि धारा 20 की उपधारा (एल) दी गई शक्ति के सामान्य प्रत्यायोजन को सक्षम बनाती है

राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के लिए और "इस संबंध में अधिकृत" शब्द का अर्थ है अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने या सहमति देने का अधिकार, दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना। यह था कि "धारा के हिस्से में अपराध को उचित नहीं ठहराया जाएगा' शब्दों का उपयोग यदि याचिका में प्राधिकरण संबंधित होना चाहिए

प्रत्येक विशेष अपराध; इस तरह की प्रतिबंधात्मक व्याख्या इस धारा के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी जो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को अपनी ओर से विवेक का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने में सक्षम बनाना था।

उनमें निहित है. यदि राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों को प्रत्येक विशेष मामले पर विचार करना होगा और यह निर्धारित करना होगा कि अभियोजन शुरू किया जाना चाहिए या नहीं, तो उन्हें प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्रदान करने का कोई मतलब नहीं होगा, और, इसके अलावा, यह धारा पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाएगी। बड़ी संख्या में किए गए अपराधों को ध्यान में रखते हुए। पूर्व प्राधिकारी सिटी कॉरपोरेशन ऑफ त्रिवेन्द्रम वी. पी. एन. अरुणाचलम रेडियार और एक अन्य (1) की ओर इशारा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह प्रश्न कि क्या अनुभाग राज्य सरकार या स्थानीय को अनुमति

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

देता है। एक सामान्य प्रतिनिधिमंडल बनाने का अधिकार, निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं हुआ और उस मामले में निर्णय नहीं लिया गया।

केरल उच्च न्यायालय के नगर स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, कोझिकोड बनाम अर्थला टी एस्टेट कंपनी (2) के बाद के मामले को भटिंडा की अदालतों के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था और हालांकि श्री ए.एस. गिलानी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिमला ने इसका उल्लेख किया है। मामले में, वह इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाया है।

केरल न्यायालय का पूर्व निर्णय सिटी कॉरपोरेशन ऑफ त्रिवेन्द्रम बनाम वी.पी.एन. अरुणाचलम रेडियार और एक अन्य (1) पर भी गुरनाम सिंह बनाम द स्टेट (1961 का आपराधिक संशोधन संख्या 999, 21 नवंबर, 1961 को निर्णय लिया गया) में फाल्शॉ जे (जैसा कि वह तब था) द्वारा विचार किया गया था, और इसे इस प्रकार देखा गया था

"उचित सम्मान के साथ ऐसा लगता है कि यह निर्णय उस अनुभाग के अभिप्राय की गलतफहमी पर आधारित है

विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई जैसे कि "लिखित द्वारा या उसके साथ" शब्द

राज्य सरकार की सहमति

"राज्य सरकार की लिखित सहमति से" थे

मेरी राय है कि लिखित सहमति केवल वहीं आवश्यक है जहां अभियोजन चल रहा हो

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया है जिसे पहले से ही संस्थान बनाने की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं

ऐसे अभियोजन. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील बिल्कुल सही थे

यह सुझाव देते हुए कि संस्थान के लिए अधिकृत व्यक्ति के लिए यह अर्थहीन होगा

किसी विशेष संस्था को स्थापित करने के लिए खुद को लिखित सहमति देने के लिए अधिनियम के तहत अभियोजन

अभियोजन, लेकिन मेरी राय में जहां तक उन व्यक्तियों का सवाल है जिन्हें विधिवत प्रत्यायोजित किया गया है

अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू करने के अधिकार के साथ, अनुभाग का संबंध है

इसे ऐसे पढ़ा जा सकता है मानो 'के लिए' की लिखित सहमति से' शब्द पूरी तरह से हटा दिए गए थे, और इस अनुभाग का क्या मतलब है मेरी राय यह है कि अभियोजन

या तो प्रत्यायोजित शक्ति से विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अधिकृत नहीं है लेकिन अधिकृत व्यक्ति की लिखित सहमति से।"

सम्मान के साथ, मैं इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूं। श्री डी. डी. जैन, इन अपीलों पर कुछ उत्तरदाताओं की ओर से बहस कर रहे हैं। यहां तक कहा गया कि इन मामलों में अभियोजन पूरी तरह से वैध होता यदि संबंधित खाद्य निरीक्षक तथ्यों का उल्लेख करने के अलावा, जैसा कि उन्होंने शिकायतों में किया है, यह भी कहा कि उन्होंने प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार किया था और इसे अभियोजन स्वीकृति देने के लिए उपयुक्त माना। यह

आदेश में केवल यह बताया जाएगा कि कब अस्वीकृत किया जाएगा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

खाद्य निरीक्षक ने स्वयं अभियोजन स्थापित किया है (जैसा कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था), उसके लिए यह जोड़ना न केवल बेमानी होगा बल्कि बेतुका भी होगा कि उसने उस विशेष अभियोजन को स्थापित करने की मंजूरी दी थी।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, जैसा कि श्री गिलानी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ने बॉम्बे राज्य (अब गुजरात) बनाम परषोत्तम कनैयालाल (3) में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया। ये अवलोकन इस प्रकार हैं:-

'इस आशय से पढ़ा जाए कि लिखित सहमति देने से पहले, प्राधिकारी

अभियोजन शुरू करने के लिए सक्षम व्यक्ति को अपना दिमाग तथ्यों पर लगाना चाहिए

मामला और खुद को संतुष्ट करें कि कथित अपराधी को अदालत के समक्ष पेश करने का प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है जो उचित प्रतीत होता है।"

हालाँकि, इन टिप्पणियों पर संदर्भ के बिना विचार किया गया है। उस अपील को जन्म देने वाले मामले में अभियोजन मुख्य अधिकारी, बड़ौदा नगर पालिका द्वारा विशिष्ट मामले के लिए दी गई लिखित सहमति के आधार पर दायर किया गया था, जिसे उप-धारा (1) के तहत बड़ौदा नगर निगम द्वारा अधिकृत किया गया था। दाखिल करने की मंजूरी देने के लिए अधिनियम की धारा 20

अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में शिकायतें। सहमति में शिकायत का नाम नहीं बताया गया- शिकायत नगर पालिका के खाद्य निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई थी और सवाल उठा कि क्या यह क़ानून के तहत आवश्यक था

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

कि सहमति में शिकायतकर्ता का नाम अंकित होना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा नकारात्मक दिया गया और यह माना गया कि अभियोजन एक शिकायत पर शुरू किया गया था जो पूरा हुआ

अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) की आवश्यकता क़ानून का विश्लेषण करते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि "उपधारा में स्वयं शामिल है और संकेत है

कि लिखित सहमति एक निर्दिष्ट अभियोजन शुरू करने के लिए है, और नहीं

एक शिकायतकर्ता के पक्ष ने उसे शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। फिलहाल राज्य सरकार' और 'स्थानीय प्राधिकारी' को छोड़कर, जिन्हें प्रावधान में अभियोजन शुरू करने के लिए स्वयं सक्षम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इन दोनों प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें 'अधिकृत व्यक्ति' पद स्पष्ट रूप से एक नामित व्यक्ति को संदर्भित करता है जो इस प्रकार अधिकृत है। इन चार श्रेणियों के मामले में शिकायत दर्ज करने वाले प्राधिकारी या व्यक्ति को स्वयं अभियोजन की तर्कसंगतता और औचित्य पर विचार करना होगा और संतुष्ट होना होगा कि अभियोजन तुच्छ नहीं है और इसे अन्य वर्ग के बगल में जाना कहा जाता है, प्रासंगिक रिट नहीं हैं अभियोजन की अवधारणा लिखित सहमति से शुरू की जाएगी। यहां जोर अभियोजन दायर करने की सहमति पर है, दाखिल करने वाले व्यक्ति की सहमति पर नहीं। इन टिप्पणियों में मेरे विचार से उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए तर्क का उत्तर शामिल है। हमारे सामने जो मामले हैं उनमें लिखित सहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता। खाद्य निरीक्षक, जिसे राज्य सरकार द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था, को स्वयं अभियोजन की तर्कसंगतता और औचित्य पर विचार करना था और जब उसने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया तो इस आवश्यकता को पूरा माना जाना चाहिए।

राज्य न्यायालय की इस घोषणा के मद्देनजर इस पर विचार करना अनावश्यक है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

केस दास बनाम राबिन सेन-और अन्य 4 जिस पर केरल सिटी कॉरपोरेशन ऑफ त्रिवेन्द्रम के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की गई थी

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 की व्याख्या से संबंधित एक वर्ग, जो विचाराधीन अधिनियम की धारा 20 से अलग है।

अंत में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 495 की उपधारा (4) का हवाला दिया, जो इस प्रकार है: -

"यदि किसी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी

उस अपराध की जांच में कोई भी भाग लिया जिसके संबंध में

आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।"

आग्रह किया गया कि मामले की जांच में भाग लेने वाले खाद्य निरीक्षक को अदालत में इसकी जांच करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रश्न नहीं है,

हालाँकि, इस स्तर पर यह हमारे सामने आता है और तदनुसार हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

इसलिए, निष्कर्ष यह है कि नीचे दिए गए निर्णयों में निचली अदालतों ने अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए अभियोजन को दोषपूर्ण ठहराने में गलती की। इनमें से प्रत्येक अपील है

अनुमति दी गई और प्रत्येक उत्तरदाता को बरी करने का आदेश रद्द कर दिया गया। 1961 की आपराधिक अपील संख्या 1081 और 1082 को जन्म देने वाली अपीलें

अब सत्र न्यायाधीश, भटिंडा द्वारा योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, और पार्टियों को 3 सितंबर, 1962 को अपील की आगे की सुनवाई के लिए उनके न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। इसी तरह, शेष अपीलों को जन्म देने वाले आपराधिक मामले होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिनके समक्ष पार्टियों को 3 सितंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। 1962, के लिए

आगे की कार्यवाही.

नागरिक विविध

इंदर देव दुआ से पहले जे.

डॉ तरलोचन सिंह अपीलकर्ता

बनाम

मोहिंदर कौर प्रतिवादी

सिविल विविध संख्या 936 या 1961।

1961 के आदेश क्रमांक 20-एम से प्रथम अपील।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) एस-24 धारा 10 के तहत आवेदन के विचारण के दौरान पत्नी के लिए गुजारा भत्ता तय किया गया है - क्या यह अपील की लंबित अवधि के दौरान भी सुनिश्चित करता है - पत्नी अपील की लंबित अवधि के दौरान रखरखाव के लिए आवेदन कर रही है - वह तारीख जिससे रखरखाव की अनुमति दी जाएगी।

यह माना गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत आवेदन के परीक्षण के दौरान पारित पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने वाले आदेश की परिचालन अवधि केवल ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही तक ही सीमित है और ट्रायल कार्यवाही की समाप्ति के साथ समाप्त होती है। हालाँकि, पत्नी अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा 24 के तहत अपीलकर्ता न्यायालय में आवेदन कर सकती है और

जहां तक अपीलीय कार्यवाही का संबंध है, भरण-पोषण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और जिस तारीख से भरण-पोषण की अनुमति दी जाएगी वह वह तारीख है जिस दिन आवेदन किया जाता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रतिवादी की ओर से आवेदन। प्रार्थना करते हुए कि अपीलकर्ता को उपरोक्त में प्रतिवादी को भुगतान करने का निर्देश दिया जाए

एफएओ. 20.एम 1961 की धारा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान कार्यवाही का खर्च और मासिक भरण-पोषण।

अपीलकर्ता की ओर से डी.आर. अधिवक्ता

तीरथ सिंह मुंजराल, प्रतिवादी के वकील

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

आदेश

मानननीय न्यायाधीश श्री -यह आवेदन श्रीमती मोहिंदर कौर की ओर से दायर किया गया है। इस अदालत में प्रतिवादी, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्यवाही और भरण-पोषण के खर्च के लिए पेंडेंट लाइट की मांग करता है। आरोप है कि डॉ. तरलोचन सिंह ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत श्री चरण सिंह तिवाना, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, अमृतसर की अदालत में न्यायिक पृथक्करण के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 19 नवंबर, 1960 को खारिज कर दिया गया।

आदेश दें कि वर्तमान अपील उक्त तरलोचन सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिका दायर करने वाली प्रतिवादी श्रीमती मोहिंदर कौर को अपील का नोटिस दिया गया है और उन्हें अपने मामले की रक्षा के लिए व्यवस्था करनी है। उसका एकमात्र स्रोत

उनकी आय शज़ादानंद प्राथमिक विद्यालय, अमृतसर से प्राप्त वेतन है, जो रु. 60 प्रति माह. उसके पास कोई अन्य चल या अचल संपत्ति नहीं है जिससे वह अपना खर्च वहन कर सके और जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार सक्रिय रह सके।

रुपये की राशि के लिए. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान खर्च और उचित मासिक रखरखाव के रूप में 1,000 रु. इसमें बताया गया है कि डॉ. तरलोचन सिंह को रुपये देने का आदेश दिया गया था. 200 परामर्श शुल्क और रु. अधिनियम की धारा 24 के तहत ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मासिक भरण-पोषण के रूप में 50 रु. पैरा 6 में कहा गया है कि डॉ. तरलोचन सिंह, न्यायिक पृथक्करण की कार्यवाही में अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार, रुपये से कम नहीं कमाते रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिस से एक महीने का वेतन 300 रुपये है और अमृतसर में उनके पास लगभग चार घर हैं। चूँकि मुकदमा लंबा खिंच गया है, उसने कहा है कि उसे इसकी आवश्यकता है

एक अच्छे वकील की सहायता और कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए चंडीगढ़ भी आऊंगा जिसमें स्पष्ट रूप से एक निश्चित राशि का खर्च शामिल होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार

हरियाणा